संख्या-18/2023/बी-2- 424/दस-2023-एम-61/2019

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

नगरीय निकाय निदेशालय,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक 21 जून, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय–व्ययक में राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों को अन्तरण हेतु व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों को अन्तरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-61 के लेखाशीर्ष "2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों को अन्तरण-42-अन्य व्यय" में प्रावधानित धनराशि रूपया 300.00 करोड़ (रूपया तीन सौ करोड़ मात्र) में से रूपया 200.00 करोड़ (रूपया दो सौ करोड़ मात्र) को निम्नलिखित शर्तो के अधीन नगरीय निकाय, निदेशालय उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की तथा उसे व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि इस धनराशि से यू0पी0पी0सी0एल0 की लम्बित विद्युत देयताओं का भुगतान किया जायेगा।

(2) कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जाएग।

(3) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनाँक सहित, संहत सूचना शासन के वित्त विभाग तथा नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व निदेशक, नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश द्वारा, उपरोक्तानुसार स्वीकृत व आवंटित की गयी धनराशि के उपयोग की समीक्षा की जायेगी।

2. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय–व्ययक अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के लेखाशीर्ष "2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों को अंतरण-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-18/2023/बी-2- 424(1)/दस-2023-एम-61/2019, तद्दिनाँक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त संसाधन (वित्त आयोग)अनुभाग।
6- नगर विकास अनुभाग-9.
7- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-9.
8- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।